



राजस्थान राज्य सूचना आयोग

ओ.टी.एस. परिसर के पास, जे.एल.एन. मार्ग, झालाना लिंक रोड, जयपुर,
(फोन एवं फ़ैक्स- 0141-2719136)

क्रमांक पं:6(17)/रा.सू.आ./संस्थापन/2011/ 36362

दिनांक- 18.8.17

विज्ञापन

राजस्थान सूचना आयोग में संविदा के आधार पर लिपिकीय कार्य करने के इच्छुक राज्यसेवा से सेवानिवृत्त कार्मिकों (जिनकी आयु 65 वर्ष से अधिक नहीं हो) के आवेदन पत्र दिनांक 04.09.2017 तक आमन्त्रित किये जाते हैं। सेवानिवृत्त कर्मचारी की कम्प्यूटर पर हिन्दी में टाईपिंग में पूर्ण दक्षता होना आवश्यक है।

चयनित सेवानिवृत्त कार्मिकों को समेकित पारिश्रमिक के अतिरिक्त अन्य कोई भत्ता देय नहीं होगा तथा अन्य शर्तों कार्मिक विभाग के परिपत्र एफ 17 (10) डी0ओ0पी0/ए-11/94 दिनांक 11 जुलाई 2017 अनुरूप रहेगी। आवेदन पत्र का प्रारूप आयोग की वेबसाईट पर उपलब्ध है। आवेदन पत्र सचिव, राजस्थान राज्य सूचना आयोग, जयपुर के नाम से संबोधित होगा।

र र

सचिव

राजस्थान राज्य सूचना आयोग,
जयपुर

राज्य सरकार के सेवानिवृत्त अधिकारियों/कर्मचारियों के संबंध में संविदा पुनर्नियुक्ति
सेवाएँ लेने के लिए आवेदन प्रारूप

- 1 सेवानिवृत्त अधिकारी/कर्मचारी का नाम :
- 2 पिता का नाम :
- 3 जन्म तिथि :
- 4 अर्हताएं :
- 5 आवेदित पद का नाम :
- 6 सेवानिवृत्ति के समय धारित पद :
- 7 सेवानिवृत्ति की दिनांक :
- 8 मूल विभाग का नाम :
- 9 अनुभव :
- 10 हिन्दी स्टेनो एवं कम्प्यूटर पर हिन्दी टंकण कार्य अनुभव :
- 11 धारित पद का चेतनमान (पी-बैंड+ग्रेड-पी) :
(सेवानिवृत्ति के समय)
- 12 मूल पेंशन राशि (सेवानिवृत्ति के समय) :
- 13 संलग्न का विवरण (यथा एल.पी.सी., पी.पी.ओ. की प्रति आदि) :
- 14 स्थाई निवास का पता एवं मो./फोन नम्बर :

सेवानिवृत्ति अधिकारी/कर्मचारी द्वारा हस्ताक्षरित किये जाने के लिए वचनबंध

अधोहस्ताक्षरी राज्य सरकार के सेवानिवृत्ति कर्मियों को लगाने के लिए राज्य सरकार के परिपत्र सं.-एफ.1/7(10)डीओपी/ए-11/94 दिनांक 26.05.2014 में दिये गये सहमत निर्बंधनों और शर्तों के अनुसरण में अपनी सेवानिवृत्ति के पश्चात राज्य सरकार में संविदात्मक पुनर्नियुक्ति सेवाओं को स्वीकार करने का इच्छुक है। अधोहस्ताक्षरी संविदात्मक वचनबंध के उक्त निर्बंधनों और शर्तों को मानने के लिए इसके द्वारा सहमत है और वचन देता है।

जयपुर

दिनांक

सेवानिवृत्ति अधिकारी/कर्मचारी
के हस्ताक्षर